

खानुसूची 14-कार्य सं० 5H.

W 692470

जिल्द 02 वर्ष 19 20/14/15.

किससे प्राप्त हुआ
40 500 रुपय की मुद्रिया

किस मदे
खाना - अर्धरात्री जिला - सयाही

25
पाणिजन मुद्रा समि - 25000000

नकद

स्टाम्प के रूप में

कुल 25 000000

कुल 10 लाखों रुपयों के रूप में
(केवल रुपये पैसे)

3/4/14

प्राप्त करने वाला पदाधिकारी

03/04/2014
तारीख 19

जिला
0000

प्ररूप 2 क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम उसका डाक

पता

..... उसका नाम

..... संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र (में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

प्रस्थापक का हस्ताक्षर

भाग 2

08
 5/4/14
 at 11:20 A.M.

(निम्नलिखित दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 25-292131

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम ब्रह्मदेव मुरैकभा

पिता/माता/पति का नाम नशुनी मुरैकभा

उसका डाक पता ग्राम - दुर्विचारी पो. मैदाना, चाना-अरौली, जिला (बलरामपुर)

उसका नाम 148-अरौली अ.स. संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 35 में क्रम संख्यांक 826 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे उस संसदीय निर्वाचक-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं, और इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्र०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०			
1	148-अरौली	35	1024	अमरजीत मुरैकभा		5-4-14
2	148-अरौली	35	1026	दीप मुरैकभा		"
3	148-अरौली	35	951	ब्रह्मदेव मुरैकभा		5-4-14
4	148-अरौली	35	873	दिलीप मुरैकभा		"
5	148-अरौली	35	816	शरणी मुरैकभा		"
6	148-अरौली	35	784	पंकज कुमार		"
7	148-अरौली	35	764	अरवि मुरैकभा		"
8	148-अरौली	35	606	दिलीप कुमार		"
9	148-अरौली	35	1016	राम मुरैकभा		"
10	148-अरौली	35	1051	मोरी मुरैकभा		5-4-14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचक-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

(5-4-14 मोरी मुरैकभा)

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतिक मुझे, आबंटित किया जाए।

(ii) मुझे इस निर्वाचन में या दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतिक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) (ii) (iii) हैं।
(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
.....राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित **जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ***नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

शुभमदीन क. ल. च.

तिथि : 5-4-2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लगू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है

भाग 3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

(1)(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है, या

हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक

(ii) पुलिस थाना (थानों).....

जिला (जिले).....

राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें.....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें.....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विषयियां

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया या वह/वे लंबित है.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान : २९२११५

तारीख : ५-५-१५

प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

